संख्या-10/2024/345/001-345-1

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 13 मार्च, 2024**

विषय : वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-91 03-मुख्यालय, 04-जिला व्यय एवं 05-स्कैनिंग ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेन्ट के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-345/नौ-104(बजट)/2023 दिनांक 05.03.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-91, राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 03-पंजीकरण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-मुख्यालय, 04-जिला व्यय एवं 05-स्कैनिंग ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेन्ट के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में प्रावधान/वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू० 490.50 लाख (रुपये चार करोड़ नब्बे लाख पचास हज़ार मात्र) का पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा हैं उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की माँग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) उक्त पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(4) अतः स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त व्यय की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले ऑडिट आपत्ति हेतु महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय उत्तरदायी होगा।

(8) यह आदेश वित्त विभाग के **आर०ई०संख्या-बजट-1-599, दिनाँक 12.03.2024** में दी गयी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष : **2030030010300 (मुख्यालय-)**

क्र०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1-	091	2030030010300 मुख्यालय-	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2-	091	2030030010300 मुख्यालय-	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
3-	091	2030030010300 मुख्यालय-	49 चिकित्सा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
4-	091	2030030010300 मुख्यालय-	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
5-	091	2030030010300 मुख्यालय-	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**83,00,000 (रुपये तिरासी लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष : 2030030010400 (जिला व्यय)

क्र०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030030010400 जिला व्यय	02 मजदूरी	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
2	091	2030030010400 जिला व्यय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
3	091	2030030010400 जिला व्यय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	091	2030030010400 जिला व्यय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**67,50,000 (रुपये सड़सठ लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष : 2030030010500 (स्कैनिंग एण्ड इन्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट)

क्र०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030030010500 स्कैनिंग एण्ड इन्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,40,00,000 (रुपये तीन करोड़ चालीस लाख मात्र)
	कुल			**3,40,00,000 (रुपये तीन करोड़ चालीस लाख मात्र)**
महायोग				**4,90,50,000 (रुपये चार करोड़ नव्वे लाख पचास हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

संख्या-10/2024/345/001-345-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिरीक्षक निबन्धयन, उ०प्र० लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रे शन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।